FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Faridabad **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017 **Date (दिनांक):** 25/07/2026 11:15

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2006 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2008

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/07/2026 **Time (समय):** 10:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Time (समय):** 25/07/2026 11:08 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 30 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address (पता): पलवल /होडल,

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

   District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name (नाम):** RAJ KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 28/10/1971 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Occupation (व्यवसाय):**

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	RATI PUR, RATI PUR, CAMP PALWAL, PALWAL, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	RATI PUR, RATI PUR, CAMP PALWAL, PALWAL, HARYANA, INDIA

(i) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	Unknown1		Father's Name: Unkown

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	COIN AND CURRENCY	INDIAN RUPEE	42,00,000.00

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 42,00,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद। श्रीमान जी, निवेदन है कि कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादी

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

कमांक 66/22/2013-3 चौकसी (II) दिनांक 18.03.2013 की पालना में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 5376/आई-5/रा० चौ० ब्यू० दिनांक 04.04.2013 अनुसार जांच क्रमांक 05 दिनांक 28.03.2013/पंचकूला दर्ज रजिस्टर हुई। जिसमें बागवानी विभाग जिला पलवल से सम्बन्धित आरोप नं0 1, 5, 7, 10 व 13 में निम्नलिखित आरोप लगाये गयेः-

आरोप नं0 1:- Expenditure incurred on the establishment of new gardens in the state: - From the year 2007-08 onwards more than 2000 hectares had been brought under the fruit plantation. For this purpose more than five lacs of fruit plants had been purchased from the private nurseries in the state as well as of the other state Dept. In spite of these the other material like Fertilizer, Pesticides had been purchased in the same manner. Package and practices of the state university has been ignored. Only 5-10% plants are surviving in the field of the farmers in the state. Heavy amount has also been spent on their maintenance for the next three years. Huge embezzlement of fund has been made in the implementation of the scheme.

आरोप नं0 5:- From the year 2007-08 onwards a big amount of subsidy has been given to private and public sector for the production of mushroom/integrated mushroom unit/spawn making units, compost making units, but no production has been made during the period. Huge embezzlement of fund has been made in the implementation of the scheme. No mushroom unit has been established in the farmers' fields. On the basis of duplicate Ration cards subsidy benefit has been given to the farmers. This duplicacy has been brought to the notice of inquiry officer

आरोप नं0 7:- Huge amount of subsidy paid to the farmers under community tank in the state. The amount of subsidy had to be paid in installment. When the work of construction/fruit plantation/Drip irrigation work has been completed then and only then the subsidy had to be paid. There is no work of Community tanks, fruit plantation/Drip irrigation in the field of the farmers. Working of the tanks presently upon those several crores of Rupees may been embezzled is a matter of investigation in the state since 2007-08 onwards. Private agencies and not that of govt. executed the works.

आरोप नं0 10:- Huge amount of subsidy has been spent (given to farmers/pvt. Agencies) in the implementation of ORGANIC FARMING scheme in the state from 2006-07 onwards. There is no working unit in the field of farmers in the state, 90% of the amount of subsidy has been embezzled. Only 5-10 percent of the farmers have been brought under the scheme. There is no certification of any Horticultural crop in the field of farmer who has been shown under subsidy in the state.

आरोप नं0 13:- Huge amount of subsidy paid to the farmers under BEE-KEEPING scheme in the state since 2007-08 onwards. Big financial fraud has been made in the implementation of scheme as the duplicate farmers have been given the benefit of subsidy.

उपरोक्त आरोपों के बारे अन्तिम जांच रिपोर्ट श्री विजय कुमार नेहरा, ह०पु०से०, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला द्वारा तैयार की गई। जो अन्तिम जांच रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त आरोपों बारे आरोपवार टिप्पणी रिपोर्ट इस प्रकार से है:-

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

टिप्पणी आरोप नं0 1:- जिला पलवल बारे विभागीय कमेटी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट पी-2 उपरोक्त अनुसार जिला पलवल में कमेटी द्वारा सामुदायिक तलाबों का निरीक्षण किया गया जहां पर तलाबों के आसपास फलदार पौधे लगाए जाने थे जो नहीं लगे पाए गए। इस प्रकार विभाग के अधिकारियों द्वारा बाग लगाने बारे फर्जी रिकार्ड के आधार पर सरकार धन का गबन किया गया।
ii) जिला अम्बाला, यमुनानगर, गुडगांव, पानीपत व पलवल बारे विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटियों / निरीक्षण टीमों द्वारा उजागर किए गए उपरोक्त तथ्यों को नकारने बारे भ्र०नि०ब्यूरो के सम्बन्धित जिला के जांच अधिकारियों की रिपोटों, ब्यानों / दस्तावेजों के आधार पर कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। iii) उपरोक्त के आधार पर सामने आया है कि जिला पानीपत, अम्बाला, पलवल, गुडगांव व यमुनानगर में विभाग के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा कई मामलों में धरातल पर वास्तव में बाग ना लगा कर केवल रिकार्ड में बाग लगााना दिखाकर फर्जी रिकार्ड तैयार किया गया व सरकारी धन का गबन किया गया व इसके आधार पर विभाग के मुख्यालय पर सरकार को बागवानी के सम्बन्ध में ऐरिया एवं प्रोडक्शन की झूठी रिपोर्ट देकर गुमराह किया गया। इन मामलों बारे विभाग के मुख्यालय की कमेटियों / टीमों द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट मुख्यालय को दी गई परन्तु इसके बाद भी कोई कार्यवाही ना की गई। जिसमें मुख्यालय की मिलीभगत सामने आती है। इस सीमा तक यह आरोप सिद्ध रहा। इसके इलावा जिला मेवात बारे व बागवानी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फलदार पौधे, खाद एवं दवाई आदि इनपुटस सरकारी स्त्रोतों से ना खरीदकर प्राईवेट स्त्रोतो से खरीदने बारे मुख्यालय बागबानी विभाग द्वारा जांच में सहयोग ना करने के कारण कोई तथ्य सामने नहीं आए है। जिस बारे अभियोग दर्ज करके गहनता से अनुसंधान की आवश्यकता है।
टिप्पणी आरोप नं0 5:- जिला पलवल बारे रिपोर्ट पी-2 अनुसार जिला पलवल में एगजैस्टिंग ट्रे मद में वर्ष 2009-10 में दिये गये भौतिक लक्ष्य का 200 प्रतिशत से उपर लक्ष्य हासिल किया गया जिस पर कुल राशि 1701000/-रू० खर्च कि गई लेकिन रिकार्ड अनुसार निम्नलिखित लाभार्थी किसान ना होकर स्वयं सहायता समूह को अनुदान दिया गया। SHG को 16,20,000/- रू० दिए गए जो कि NHM गाईड लाइन के अन्तर्गत के नहीं आते क्योंकि NHM की गाईड लाईन में लाभार्थी केवल किसान ही हो सकता है न कि Self Help Group, एन.जी.ओ., किसान कलब और सरंपच आदि। यह राशि होडल स्थित निम्नलिखित 9 फर्मों को देकर इस राशि का दूरुपयोग किया गया।
1. Jai Bhula Mushroom, 2- Jai Ganga Mushroom, 3- Jai Durga Mushroom, 4- Jai Baba Mohan Ram, 5- Jai Radha Mushroom, 6- Jai Sapai Mushroom, 7- Jai Bhagat Mushroom, 8- Jai Jeet Singh, 9- Jai Bajrang Bali

ii) इसके अतिरिक्त कुल 106 मशरूम युनिट में से क० स० 36-50 Jai Bharota Baba SHG, क० स० 51-65 Maharani Kishori Mushroom SHG, क० स० 66-80 Deepak Mushrooms SHG, क० स० 81-95 Har Krishna Mushroom SHG को भी 3,78,750 के हिसाब से 15,15,000/- रू० उपरोक्त SHG को भी अनुदान दिया गया। उपरोक्त Jai Bharota Baba SHG, Har Krishna Mushroom SHG दोनो श्री रोशन लाल के घर पर ही लगाए गए थे जो NHM नारमस के तहत गलत है। नियमों की अनदेखी कर उपरोक्त रकम का दुरुप्योग किया गया। इनके अतिरिक्त बाकी मशरूम यूनिट भी NHM नारमस के अनुसार नहीं बनाई गई। बल्कि बने बनाए कमरो में मशरूम लगाए गए। जांच अनुसार केवल 10500/- रू० ही खर्चा पाया गया जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रति लाभार्थी 5250 रु० बनता है। अतः एसएचजी के इलावा 46 मशरूम युनिट पर केवल 46 x 5250 2,40,500/- की ही अनुदान राशि बनती है। अतः मद में की गई अनुदान राशि चार्ज करने का औचित्य नहीं बनता था व गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण ठीक नही पाया गया। प्रतीत होता है कि सारा मामला सरकार के पैसे को खुर्दबुर्द करने का था जिसमें किसान वा उधान विकास अधिकारी की मिली भगत थी।

टिप्पणी आरोप नं0 7:- जिला पलवल बारे रिपोर्ट पी-2 अनुसार जिला पलवल में वर्ष 2008/09 से 2009/10 तक NHM के तहत 23 सामुदायिक तालाब बनवाए गए थे। जिनमें से वर्ष 2009/10 में 21 सामुदायिक तालाब बनवाए गए जिसके कुल 210 लाख रू0 का प्रावधान कराते हुए 21 सामुदायिक तालाबों के लिए 9992940/-रू० का अनुदान दिया गया। जांच कमेटी द्वारा लांभावित किसानो के मोके पर जाकर जांच की गई व ब्यान अंकित किए गए। जिसके अनुसार विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमित्ताए की गई व किसानों से रिश्वत के पैसे मांगे गए व लिए गए व कोई भी तालाब चालू व सही अवस्था में नहीं पाया गया व किसी भी तालाब पर फलदार पौधे / बाग या ड्रिप इरिगेशन यंत्र नहीं पाए गए। जो फर्जी रिकार्ड व मिलीभगत के आधार पर सरकारी धन की अनुचित हानि की गई।

(ii) जिला पलवल बारे विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटी/निरीक्षण टीम द्वारा उजागर किए गए उपरोक्त तथ्यों को नकारने बारे भ्र०नि०ब्यूरो के सम्बन्धित जिला के जांच अधिकारी की रिपोर्ट, ब्यानों/दस्तावेजों के आधार पर कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं।

iii) जिला पलवल बारे विभाग के मुख्यालय द्वारा पत्र न0 4553-54/स्था-I दिनांक 14.06.2010 द्वारा श्री वेद प्रकाश गोयल तत्कालीन उप निदेशक (फल), उधान विभाग, हरियाणा व श्री सुरेन्द्र सिंह दहिया तत्कालीन उधान विकास अधिकारी, रेवाडी की जांच कमेटी / निरीक्षण टीम नियुक्त की गई थी। जो कमेटी की रिपोर्ट विभाग के तत्कालीन महानिदेशक डा० सतबीर सिंह द्वारा दस्ती तोर से लेने के लिए

मना कर दिया गया। जिसके बाद कमेटी द्वारा दिनांक 31.01.2012 को कोरियर के माध्यम से रिपोर्ट विभाग के मुख्यालय में भेजी गई, जिसकी रसीद श्री वेद प्रकाश गोयल ने प्रस्तुत की है। जो कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट में जिला पलवल में विभाग के अधिकारियों द्वारा फर्जी रिकार्ड तैयार करने व गबन करने का निष्कर्ष दिया गया था। परन्तु इसके बाद भी कोई कार्यवाही ना की गई व एक अन्य कमेटी बनाकर लिपापोती का प्रयास किया गया जिसमें मुख्यालय की मिलीभगत सामने आती है। जिस बारे अभियोग दर्ज करके गहनता से अनुसंधान की आवश्यकता है। इसके इलावा विभाग द्वारा पत्राचार उपरान्त भी जिला मेवात से सम्बन्धित रिपोर्ट पी-7, पी-8, पी-9 उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः जिला पलवल के सम्बन्ध में यह आरोप सिद्ध रहा।
टिप्पणी आरोप नं0 10:- जिला पलवल के सम्बन्ध में रिपोर्ट पी-2 वर्ष 2008-09 इस मद के तहत वा 2009-10 में 65 वर्मी कम्पोसट बनाने के लिए 2.4 लाख वा 19.50 लाख रू० कमशः खर्च किए गए। लेकिन उपरोक्त वर्मी कम्पोस्ट यूनिट NHM नारमस के अनुसार नही लगाए गए। पहली बार 27.07.2011 को देखी गई यूनिट दिनांक 31.11.2011 को मौके पर नही पाई गई। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया सभी वर्मी कम्पोस्ट पहले से बने पक्के मकानो में बनाई गई थी। तथ्यो अनुसार प्रति यूनिट 16000/- रू० बनता था। जबकि 30000/- दिया गया। 14,000/- प्रति यूनिट ज्यादा राशि का भुगतान किया गया जिससे 9,10,000/- राशि का भुगतान बनता ही नही था। 19,50,000/- रू० इस मद में खर्च होना गंभीर मामला है। वित्तीय नियम को नजर अंदाज किया गया। मौका पर कुछ भी ओरगैनिक फसल उत्पादन नही मिला।

ii) जिला अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत व पलवल बारे विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटियों / निरीक्षण टीमों द्वारा उजागर किए गए उपरोक्त तथ्यों को नकारने बारे भ्र०नि०ब्यूरो के सम्बन्धित जिला के जांच अधिकारियों की रिपोर्टो, ब्यानों / दस्तावेजों के आधार पर कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं।
iii) अतः जांच के दौरान सामने आया कि जिला अम्बाला, यमुनानगर, पानीपत व पलवल में वर्मी कम्पोस्ट / ओरगैनिक फारमिंग के नाम पर सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा फर्जी रिकार्ड तैयार करके सरकारी धन का दुरुप्योग व गबन किया गया है। जो इन जिलों के सम्बन्ध में यह आरोप सिद्ध रहा। इसके उपरान्त वर्ष 2008-09 से 7 प्राईवेट कम्पनियों को इस स्कीम का कुछ हिस्सा विभाग द्वारा दिया जाने व इन कम्पनियों द्वारा वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 तक राशि 15,15,01,800 रू० में से अधिकतर हिस्से का गबन किए जाने बारे मुख्यालय बागवानी विभाग पंचकूला के असहयोग के

कारण तथ्य सामने नही आ सके। इसके इलावा जिला अम्बाला बारे विभाग की टीम द्वारा विजीलैंस जांच की मांग की गई थी, पर इस बारे निदेशालय बागवानी द्वारा कोई कार्यवाही न की गई, जिससे निदेशालय के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती है। जिस बारे मुकदमा दर्ज करके गहन अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी आरोप नं0 13:- जिला पलवल बारे रिपोर्ट पी-2 उपरोक्त अनुसार जिला पलवल में इस मद के सम्बन्ध में तत्कालीन जिला अधिकारी पलवल द्वारा एक्शन प्लान के अनुसार कार्य ना करके अपनी मर्जी से ढाई गुणा लक्ष्य बढाकर सरकारी नियमों की अवहेलना की गई व इसकी कोई स्वीकृति विभाग से नहीं ली गई। वर्ष 2009-10 में मधुमक्खी पालको द्वारा दिए गए रिकार्ड में से उन द्वारा दिए गए राशन कार्ड की जांच दौरान जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक पलवल को 283 लाभार्थियों के राशन कार्ड की जांच पर 107 राशन कार्ड फूड एण्ड सप्लाई निरीक्षक हथीन ने इन दस्तावेजों को गलत दर्शाया है। जिससे स्पष्ट है कि उद्यान विकास अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर रिकार्ड की वैरिफिकेशन नही करवाई गई। गांव कॉनडल में 17 किसानों को अनुदान राशि दी गई। जिसमें कम संख्या 3,6,8,9,15 एक ही परिवार के हैं व 8,15 पर दर्ज श्री नरेश कुमार व श्री नरेश चंद्र पुत्र श्री किशन चंद गांव कोंडल एक ही व्यक्ति है। जिसने अपनी वोटर आई डी में हेराफेरी करके ऐफिडेविट भी दिखाया। ऐफिडेविट के कमांक संख्या नं० 3 पर KVIC Ambala Cantt से training ली हुई है। इस पर भी धोखाधडी प्रतीत होता है। जाहिर है कि माली, उ०वि०अ०, सहायक परियोजना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, लेखाकार सभी की मिलीभगत पाई जाती है क्योंकि नरेश चंद्र पुत्र श्री किशन चंद गांव कोंडल ब्लाक हथीन जिला पलवल का रहने वाला है। नरेश चंद, उ०वि०अ० अब्दुल रज्जाक के कार्यालय में माली के पद पर कार्यरत है। अतः कोण्डल गांव में जारी अनुदान राशि में किसानों व विभागीय अधिकारियो की मिलीभगत है। इसके साथ नंगला हसनपुर गांव में दिनांक 31.11.2011 को दी गई अनुदान राशि बारे निरीक्षण कमेटी द्वारा दिनांक 30.11.2011 को गांव नगला हसनपुर के दर्शाए गए कुल 11 किसानों की जांच की गई। जिसमें पाया गया कि ज्यादा तक किसान एक ही परिवार के है। गांव के पंच श्री दीना वार्ड 4 ने लिखित में बतलाया कि इस सूचि में केवल पहले 4 किसान ठीक पाए गए बाकि 7 किसान गलत पाए गए। किसी भी किसान को मधुमक्खी पालन बारे कोई अनुदान नहीं दिया गया। अतः 176000 की अनुदान राशि किसानों के नाम पर गलत दिखाकर विभागीय अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार करके हडपी गई। इसके साथ रिकार्ड में देखने पर यह भी पाया गया कि 113 लाभार्थियों द्वारा अम्बाला कैंट संस्था से ट्रेनिंग लेने बारे एफिडेफिट दिया गया। जिसकी भी जांच नहीं करवाई गई। जबकि

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

संस्थान द्वारा लिखित में दिया गया है कि जिला पलवल से 2008-09 व 2009-10 में किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ट्रैनिंग नहीं ली गई। इसी प्रकार मुरथल सोनीपत संस्थान से परीक्षण लेने बारे 23 लाभार्थियों द्वारा एफिडेविट दिया गया जिसकी भी जांच नहीं करवाई गई। जबकि संस्थानों अनुसार लिखित में दिया गया कि वर्ष 2009-10 में इन व्यक्तियों द्वारा कोई ट्रेनिंग नहीं ली गई।
ii) इसी प्रकार गांव कोंडल ब्लाक हथीन के किसानो अनुसार उन्होने मधुमक्खी का काम बंद कर दिया गया है कुछ किसानो का कहना है कि मधुमक्खी के बक्से यूपी आदि में भेजे गए है जब सरसों की फसल आएगी बक्से वापिस आ जाएगें। लेकिन सरसों की फसल खेतो में होने उपरान्त भी कोई मधुमक्खी कर्ता नही मिला। अतः उपरोक्त हालात अनुसार 42,00,000/- रू0 की राशि का दुरूप्योग मिलीभगत से होना प्रतीत होता है।
iii) जिला पलवल बारे विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटी / निरीक्षण टीम द्वारा उजागर किए गए उपरोक्त तथ्यों को नकारने बारे भ्र०नि०ब्यूरो के सम्बन्धित जिला के जांच अधिकारी की रिपोर्ट, ब्यानों / दस्तावेजों के आधार पर कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं।
iv) इस आरोप बारे पूर्व में अन्य जिलों के जांच अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्टो अनुसार व मुख्यालय बागबानी विभाग द्वारा सहयोग ना करने के कारण कोई तथ्य सानने नहीं आया है। अतः जिला पलवल के सम्बन्ध में यह आरोप सिद्ध रहा। उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा जिला पलवल के सम्बन्ध में शिकायत के उपरोक्त आरोप नं0 1, 5, 7, 10 व 13 सिद्ध होने सामने आने पर बागवानी विभाग जिला पलवल के सम्बन्धित तत्कालीन अधिकारियों / कर्मचारियों के खिलाफ थाना राज्य चौकसी एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद मण्डल फरीदाबाद में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी भा०द०सं० 1860 के तहत अभियोग दर्ज किये जाने व अनुसंधान के दौरान मुख्यालय के अधिकारियों की संलिप्तता देख लिये जाने की संस्तुति की गई। उपरोक्त जांच पूर्ण करके अन्तिम रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतू नियमानुसार कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई, जिस पर कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठाकंन क्रमांक 66/22/2013-6 चौ0-II दिनांक 26.06.2026 व कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र कमांक 13715-19/आई-1/रा०सं० एंव भ्र०नि०ब्यू० (ह०) दिनांक 14.07.2026 अनुसार तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी बागवानी विभाग, जिला पलवल के विरूद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी भा०द०सं० 1860 के तहत अभियोग दर्ज किये जाने बारे निर्देश प्राप्त हुये है। लिहाजा बागवानी विभाग जिला पलवल के तत्कालीन अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध धारा 409, 420,

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

467, 468, 471, 120बी भा०द०सं० 1860 के तहत अभियोग दर्ज करने व अनुसंधान के दौरान मुख्यालय के अधिकारियों की संलिप्तता देख लिये जाने हेतू तहरीर बदस्त सि० कृष्ण गोपाल नं0 4353/गुरुग्राम के थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में पास भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके बदस्त स्पेशल वाहक ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण के पास भिजवाई जाये तथा अभियोग के अनुसंधान हेतू अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाये। स्थानः राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र पलवल । (राज कुमार), निरीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र पलवल । अज थानाः हस्ब आमद तहरीर सि० कृष्ण गोपाल नं0 4353/गुरुग्राम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेंद्र पलवल के थाना पर प्राप्त होने पर मुकदमा न० 17 दिनांक 25.07.2026 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी भा०द०सं० 1860 थाना SVACB/FBD दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हज़ा की स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल वाहक के इलाका मजिस्ट्रेट साहब, उच्च अधिकारियो व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका IO को भेजी जा रही है यह मुकदमा निरीक्षक विजेंद्र थाना SVACB, फरीदाबाद की हाजिरी में दर्ज किया जा रहा है व मुक़दमा उपरोक्त का अनुसन्धान अधिकारी निरीक्षक अशोक कुमार SVACB उपकेंद्र पलवल है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** **or (या)**

Rank (पद): I (Inspector)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**
Ashok kumar

No. (सं.): 1214 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919416567451

(3)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Refused investigation due to (जांच के लिए):District (ज़िला):(के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S. (थाना):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): VIJENDER SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1666FBD

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1						**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट